सहायक कलक्टर
(मु.) सीकर

पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रा० पक्ष उप०। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 3/5/19 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(मु.) सीकर

पत्रावली वास्ते आदेश आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act दिनांक 3/5/2019 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(मु.) सीकर

पत्रावली वास्ते आदेश आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act खारिज किया गया। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(मु.) सीकर

निर्णय आज दिनांक 3/5/2019 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(मु.) सीकर

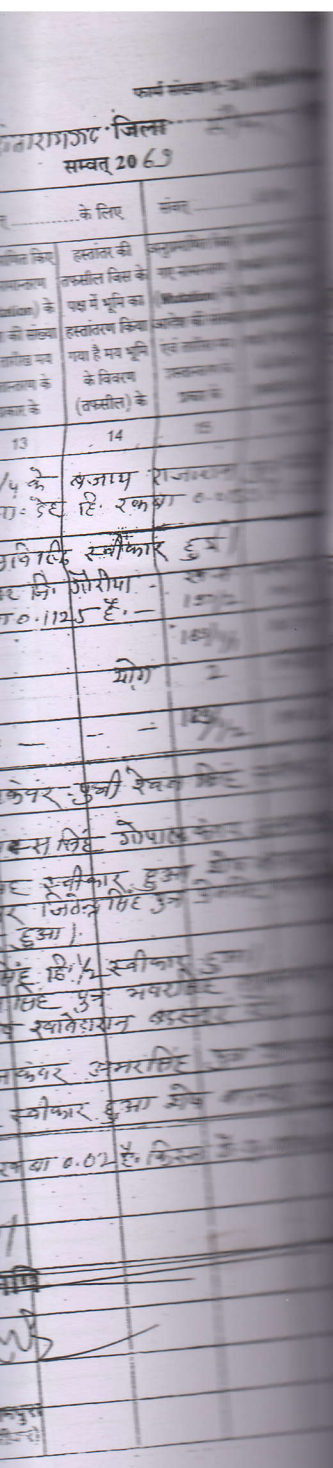

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

कारी :– अनिल कुमार, आर0ए0एस0

:: 195/2013 प्रार्थना–पत्र 212

42 वर्ष पुत्र ईश्वरसिंह जाति राजपूत निवासी त्रिलोकपुरा तहसील जिला सीकर।

– प्रार्थी,

बनाम

उम्र 78 साल पत्नि हेमसिह

। पुत्रगण हेमसिंह

।

।

।

।

।

राजपूत निवासीगण त्रिलोकपुरा तह0दांतारामगढ,जिला सीकर।

री,श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकरं

,पलसाना तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर।

लदार, पलसाना तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर।

,तहसील दांतारामगढ,जिला सीकर राज0।

– अप्रार्थीगण,

लाल बिजारणियां,वकील प्रार्थी की ओर से।

सिंह तंवर,वकील अप्रार्थी सं0 1 से 7 तक की ओर से।

आवेदन अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त अधिनियम।

:: निर्णय ::

दिनांक :–03.05.2019

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रा0पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार र्थी करणी सिंह ने जरिये अधिवकता दावा अंतर्गत धारा 88,188 धिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम एंव आवेदन पत्र अंतर्गत काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी एंव अप्रार्थी 12 से 18 तथा अन्य सहखातेदारों की कृषि भूमि ख0नं0 211 रकबा 0.07 रकबा 0.45 है0 ख0नं0 213 रकबा 0.13 है0 कुल किता 3 कुल रकबा ख0नं0 189 रकबा 6.12 है0 ख0नं0 197 रकबा 1.00 है0 व ख0नं0 188 कुल किता 3 कुल रकबा 7.13 है0 वाके ग्राम त्रिलोकपुरा तह0 ला सीकर में अवस्थित रही है। जिस बाबत माननीय न्यायालय हाजा में भूमियों में अंकित 1/8 हिस्से के लिए विचाराधीन रहा है,जिसमें 1/8 वाद के अलावा शेष 7/8 हिस्से का निर्णय हो चुका है तथा निर्णय के हिस्से के खातेदार जिनमें वादग्रस्त भूमियों के 7 पाना के व्यक्ति थे। सरा नंबर पड़ गये,जिनके अनुसार 1/8 हिस्सा (पाना) की भूमि अप्रार्थी

सं0 1 से 7 के नाम अंकित हुई,जो खसरानंबर 212/5 रकबा 0.08 है0 एंव खसरा नंबर 189/7 रकबा 0.89 है0 वाके ग्राम त्रिलोकपुरा है। इस प्रकार अप्रार्थी सं0 1 से 7 के नाम अंकित भूमि खसरा नंबर 212 रकबा 0.08 है0 एंव ख0नं0 189/7 रकबा 0.89 है0 के अलावा अन्य हिस्से के बाबत प्रस्तुत आवेदन के पक्षकारों का कोई विवाद नहीं है। पक्षकारान की वंशावली के अनुसार प्रार्थी एंव अप्रार्थी सं0 1 से 7 एंव प्रतिवादी संख्या 12 से 18 एक ही परिवार उम्मेद सिंह के पुत्र स्व0 अर्जुन सिंह के वारिसान है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के वक्त पाना के सबसे बड़े कर्ता खानदान व्यक्ति के नाम से कृषि भूमि खातेदारों में अंकित हो गई,जबकि पक्षकार अपने पूर्वजों के जमाने से उनके साथ उनकी मृत्यु के बाद वैध हक अधिकारी के रूप में वादग्रस्त भूमियों के काबिज खातेदार काश्तकार रहे। वाद के पक्षकारों अर्जुनसिंह के हक हिस्से की भूमि 1/8 भी सबसे बड़े कर्ता खानदान श्री बक्सुसिंह के नाम अंकित हो गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु होने के काफी समय बाद भी वर्ष 1980 तक अर्जुन सिंह के सभी वारिस शामिल में रहे व शामिल में ही कमाते खाते थे इसलिए पारिवारिक सद्विश्वास के नाते खातेदारी अकेले श्री बक्ससिंह के नाम दर्ज रही तथा श्री बक्ससिंह के देहान्त के बाद उनके पुत्र हेमसिह के नाम अंकित हो गई। परन्तु सभी भाई व भतीजे हेमसिंह जी का आदर व सम्मान करते है तथा कभी भी भूमियों के हिस्से व पांती को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। हेमसिंह के स्वर्गवास के पश्चात् प्रार्थी एंव अप्रार्थी सं0 1 से 7 एंव प्रतिवादी संख्या 12 से 18 के हक हिस्से की भूमि हेमसिंह के वारिसान अप्रार्थी सं0 1 से 7 के नाम जरिये विरासतन अंकित हो गयी तथा संपूर्ण भूमि के 8 पाना के कर्ता खान व्यक्तियों के वारिसान ने दिनांक 20.9.2007 को भविष्य में कोई विवाद न हो तथा परिवार में सामनजस्य बना रहे इसलिए 100/– रूपये के स्टाम्प पर एक बंटवारानामा लिखा है,जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि 1/8 हिस्से (पाना) के मुखिया अर्थात् कर्ता खानदान श्री बक्स सिंह थे,जिनके पाना हिस्सा में जो भूमि आई उसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 से 7 व 8 से 12 का अपने पूर्वजों के समान हक हिस्सा है। पाना के अनुसार बंटवारा हो जाने के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 से 7 तथा प्रतिवादी सं0 8 से 12 के पाने में भूमि खसरा नंबर 212/5 रकबा 0.08 है0 एंव ख0नं0189/7 रकबा 0.89 है0 भूमि प्राप्त हुई,जिसमें प्रार्थी व प्रफोर्मा प्रतिवादी सं0 12,13 का 1/64 हक हिस्सा, प्रफोर्मा प्रति0सं0 14 से 16 का संयुक्त रूप से 1/32 हक हिस्सा,प्रफोर्मा प्रतिवादी सं0 17 व 18 का संयुक्त रूप से 1/32 हक हिस्सा एंव अप्रार्थी सं0 1 से 7 का संयुक्त रूप से 1/32 हक हिस्सा है। प्रार्थी अपने हिस्से की उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है। साथ ही वर्तमान में उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अप्रार्थी सं0 1 से 7 का नाम 1/8 हिस्से से हजफ किया जाकर 1/32 हिस्से पर अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड भी दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादग्रास्त भूमियों को पक्षकार आज से पूर्व संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे थे तथा अपने–अपने हिस्सेनुसार एक–एक वर्ष के लिए काश्त करते रहे है,लेकिन वर्तमान में अप्रार्थी सं0 1 से 7 के अकेलों के नाम भूमियां होने के कारण खुर्द बुर्द करने,विक्रय करने तथा मौके की सुरत बदलने पर आमादा हो रहे है। इस प्रकार प्रार्थी के आवेदन पत्र में विवादित आराजी के बाबत अपना हक हिस्सा निहित होने का कथन व्यक्ति किया है। अतः तादौराने दावा अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वाके ग्राम त्रिलोकपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर स्थित बादग्रस्त भूमि ख0नं0 212/5 रकबा 0.08 है0 एंव ख0नं0 189/7 रकबा 0.89 है0 के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को समन तलब किया गया। आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी नियम का वकील अप्रार्थी सं0 1 से 7 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी जिस प्रकार से वंशावली अंकित की गई है,गलत व अस्वीकार है। रामसिंह के एक व चार लड़किया थी,जिनके वारिसान आज भी जीवित है,जिनको पक्षकार सिंह,भोपालसिंह व खेत सिंह के क्रमशः दो,तीन,चार लडकिया थी,जिनके वारिसान भी जीवित है,जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार जगमाल सिंह के लड़की हुई,जिसके वारिसान जीवित है। इसी प्रकार नारायण सिह के एक लड़की है किशोर सिंह के दो लड़कियां है तथा बहादुर सिंह के पांच लडकियां है तथा सिह के तीन लड़किया है,जिनको पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी ने गलत सजरा नदान पेश कर आवेदन पत्र पेश किया है,जो पक्षकारों के असयोजन से आवेदन रिज होने योग्य है। प्रार्थी विवादित कृषि भूमियों से क्या साबित करना चाहता है। वेदन पत्र में नहीं बताया गया है। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र में सजरा खानदान के लाफ कथन किया गया है। श्री बक्ससिंह कभी भी अर्जुनसिह के कर्ता खानदान नहीं । अर्जुन सिंह के परिवार में कर्ता खानदान सजरा खानदान में प्रार्थी द्वारा अंकित किया या है कि श्री बक्स सिंह ने अपने जीवनकाल में विवादित कृषि भूमियों पर काश्त किया था उसकी मृत्यु के पश्चात् उनकी खातेदारी की समस्त कृषि भूमियों को हेमसिंह ने काश्त किया। अब अप्रार्थी सं0 1 से 7 शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। हेमसिह के स्वर्गवास के पश्चात् उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमियां अप्रार्थी सं0 1 से 7 के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। प्रश्नगत कृषि भूमियों का पुराना ख0नं0 171 रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा में से 32 बीघा 5 बिस्वा भूमि राज्य सरकार से 8 व्यक्तियों को दिनांक 21.1.1964 मिसल नंबर 362 के द्वारा आंवटित हुई थी। जिसका नामान्तरकरण सं0 40 दिनांक 9.6.1964 तस्दीक किया गया था,जिसमें 1/8 हिस्सा श्री बक्ससिंह का भी था। जिसके वर्तमान ख0नं0 877/212 रकबा 0.08 है0 व ख0नं0 888/189 रकबा 0.89 है0 वाके ग्राम त्रिलोकपुरा है,जिसपर अप्रार्थी सं0 1 से 7 शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 से 7 के नाम दर्ज है। लिखावट दिनांक 20.9.2007 से प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 12 से 18 का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हुए है। लिखावट में आंवटित आठ व्यक्तियों के मध्य आपसी विभाजन की लिखावट है,जिसमें प्रार्थी का कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रश्नगत कृषि भूमियों से प्रार्थी व अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 12 से 18 का कोई हक हिस्सा व संबंध सरोकार नहीं है। इनका कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रश्नगत भूमियां श्री बक्ससिंह की स्वअर्जित आंवटित शुद्धा भूमि है,जिसपर प्रार्थी का कोई अधिकार नहीं है। विवादित कृषि भूमियां अप्रार्थी सं0 1 से 7 की पुश्तैनी है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रश्नगत कृषि भूमियों से प्रार्थी व अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 12 से 18 का कोई संबंध सरोकार नहीं है एंव उन्होंने कभी विवादित कृषि भूमियों पर काश्त नहीं की है। प्रार्थी/वादी का प्रथम दृष्टया मामला किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं है तथा ना ही सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त ही प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थी ने गलत रूप से विवादित कृषि भूमियों को पुश्तैनी बताकर आवेदन पत्र रिकार्ड के खिलाफ पेश किया है। प्रार्थी खातेदार,काश्तकार अथवा उप काश्तकार नहीं है। इस कारण प्रार्थी को आवेदन पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटी एक्ट आधारहीन होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एंव मनन किया तथा पत्रावली पर लब्ध दस्तावेजात,जवाब प्रार्थना पत्र का बगौर अवलोकन किया। अप्रार्थी सं0 1 से 7 मुख्य कथन यह था कि विवादित कृषि भूमियां अप्रार्थी सं0 1 से 7 के पूर्वज श्री सिंह की स्वअर्जित राज्य सकरार से आंवटित शुद्धा है,जिसकी खातेदारी वर्ष 1964 श्री बक्स सिंह के नाम तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् हेमसिंह के नाम व हेमसिह की के पश्चात् अप्रार्थी सं0 1 से 7 के नाम सही रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकित सपर अप्रार्थी सं0 1 से 7 शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। राजस्व रिकार्ड अप्रार्थीगण 1 से 7 के पक्ष में है।

अधिवक्ता अप्रार्थी गण द्वारा आरआरटी 2012 (2) पेज 921 मंगलराम व बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान,अजमेर व अन्य "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, –धारा 212– अस्थायी निषेधाज्ञा–आवेदन खारिज किया–प्रश्नतगत भूमि पर वादी कब्जा नहीं–प्राचीन मौखिक विभाजन को स्थापित करने हेतु पर्याप्त सामग्री–राजस्व लेख में प्रविष्टियां सरसरी है और स्वत्व व स्वामित्व की निश्चायक नहीं र्णीत,विचारण न्यायालय ने कोई अवैधता या अधिकारिता की त्रुटि नहीं की है "नजीर की।

अप्रार्थीगण के रिकार्डेड खातेदार होने की दशा में धारा 212 राजस्थान तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण,सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति जैसे बिन्दुओं को देखा जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं0 7 के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2012 (2) पेज 921 इस प्रकरण दस्पा होती है। चूंकि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण सं0 1 से 7 काबिज,रिकार्डेड दार है इसलिए उपरोक्त तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से ई निषेधाज्ञा का प्रा0पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र र्गत धारा 212 आरटीएक्ट खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर(मु0)सीकर

निर्णय आज दिनांक 03.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

सहायक कलक्टर(मु0)सीकर